कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
UTTARAKHAND
उत्तराखण्ड शासन
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः 563 /55 बजट (मार्ग/सेतु– अनुरक्षण)/2018–19 दिनांकः 18 /09/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/टिहरी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो में आवंटन।

संदर्भः–
(1) शासनादेश संख्या–1503/III (2)/18–03 (बजट)/2018 दिनांक–09.04.2018
(2) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 166/55 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018–19 दिनांक 19.06.2018
(3) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 3334/1सी. दिनांक 14.09.2018
(4) अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 हरिद्वार का पत्र संख्या 2719/1 सी दिनांक 01.09.2018
(5) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 लक्सर का पत्र संख्या 1359/3ए दिनांक 08.08.2018
(6) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ का पत्र संख्या 947/4 लेखा दिनांक 21.07.2018
(7) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 पुरोला का पत्र संख्या 1460/नवीनीकरण/18–19 दिनांक 02.08.2018
(8) अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 बागेश्वर का पत्र संख्या 2394/11ए.सी. दिनांक 04.09.2018
(9) अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 चम्पावत का पत्र संख्या 1283/3 ए.सी. दिनांक 21.08.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क0सं0 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054–04–337–03–01–24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि ₹ 220.00 करोड के सापेक्ष योजनान्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा उपर्युक्त संदर्भित पत्रों (क0स0–3 से 9 तक) के माध्यम से अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो में सूचित अवशेष धनावंटन की मॉग के कम में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डो को संलग्नविवरणानुसार अब कुल ₹ 599.09 लाख (₹ पॉच करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तेः– (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा उपरोक्तानुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुमोदित नवीनीकरण कार्य उच्च प्राथमिकता एवं तात्कालिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यवार/खण्डवार अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो में प्रदत्त अनुमोदित स्वीकृति से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नही किया जायेगा और न ही अनुमोदित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्ययाधिक्य एवं वित्तीय दायित्वो के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी मानें जायेंगे।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंन्ट नियमावली 2017 (संशोधित) में निर्धारित प्रकियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु–04 जिला तथा अन्य सड़कें–राजस्व–337 सड़क निर्माण कार्य–03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– खण्डवार आवंटन (1 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः–निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून। आवश्यक साख–सीमा निर्गत करने हेतु।
(4) अधीक्षण अभियन्ता, नवमें/छठॉ वृत्त/सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून/उत्तरकाशी/हरिद्वार/बागेश्वर/चम्पावत।
(5) अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय/निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0, देहरादून/हरिद्वार/लक्सर/चिन्यालीसौड़/ पुरोला/बागेश्वर/ चम्पावत।
(6) आई0टी0सेल,कार्या0प्रमुख अभियन्ता(विभागाध्यक्ष)लो.नि.वि.,देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्नः– खण्डवार आवंटन (1 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
15/9/18 15.9.2018

पत्रांकः– 563 /55बजट(मार्ग/सेतु–अनुरक्षण)/2018–19 दिनांक 18 .09.2018 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो में आवंटन।

अनु0सं0–22, लेखाशीर्षक 3054–04–337–03–01–24 (राजस्व) (धनराशि रू0 लाख में)

कम सं0	खण्ड का नाम	अनुमोदित लम्बाई (किमी0में)	अनुमोदित नवीनीकरण कार्यो की लागत	वित्तीय वर्ष 2018–19 में नवीनीकरण कार्यो हेतु आवंटन		
				पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (का0 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., देहरादून	32.26	411.58	200.00	211.58	411.58
2	प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., हरिद्वार	22.68	211.58	100.00	111.58	211.58
3	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., लक्सर	22.01	206.93	100.00	106.93	206.93
4	प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., चिन्यालीसौड़	4.00	48.00	15.00	33.00	48.00
5	निर्माण खण्ड,लो.नि.वि., पुरोला	6.00	78.00	25.00	53.00	78.00
6	प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि.,बागेश्वर	9.00	123.00	60.00	63.00	123.00
7	प्रान्तीय खण्ड,लो.नि.वि., चम्पावत	5.00	60.00	20.00	20.00	40.00
	योग, (क0सं0 1 से 7 तक)	**100.95**	**1139.09**	**520.00**	**599.09**	**1119.09**

अब आवंटन रू0 पॉच करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार मात्र

I.T
Upload करें।
19.9.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड
15.9.2018